INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 5.828 (SJIF 2022)

धर्म–तन्त्रीय षड्यन्त्र
(Religious conspiracy)

डॉ. राजेन्द्र सिंह
समाजशास्त्र विभाग
लालाराम श्रीदेवी महाविद्यालय
अतरौली (अलीगढ़)

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/10.2022-29112571/IRJHIS2210002

प्रस्तावना :

क्या आप जानते हैं कि भारतीय दण्ड संहिता जो कुछ संशोधनों के साथ आज भी भारत में कानून के रूप में चलन में है, किसने लिखी?

6 अक्टूबर 1860 को लॉर्ड मैकाले द्वारा लिखी गई भारतीय दण्ड संहिता (इंडियन पीनल कोड) लागू हुई थी। लॉर्ड मैकाले का जन्म 25 अक्टूबर सन् 1800 ई0 अर्थात् अब से लगभग दो सौ बाईस वर्ष पूर्व इंग्लैण्ड के लेस्टर शायर नामक स्थान पर हुआ था जो अंग्रेजी के प्रकाण्ड विद्वान तथा समर्थक, सफल लेखक और धारा प्रवाह भाषण कर्ता थे।

इस कानून से पहले भारत में मनु स्मृति के काले कानून लागू थे जिनके अनुसार अगर ब्राहम्ण हत्या जैसे जघन्य अपराध का भी आरोपी होता था तो उसे मृत्यु दण्ड नहीं दिया जाता था और वेद वाक्य सुन लेने मात्र के अपराध में शूद्रों, पिछड़ों के कानों में शीशा पिंघला कर डालने का प्रावधान (न्याय) था। अधिक व्याख्या न कर केवल इतना समझ लेना पर्याप्त होगा कि उस मनु स्मृति काल में शूद्रों एवं पिछड़ों (पिछड़े भी उनकी निगाह में शूद्र ही हैं) को अधिकार तो थे ही नहीं उनके केवल कर्तव्य थे और कर्तव्यों में कोताही पर तरह–तरह से दण्डात्मक अत्याचार का प्रावधान था।

लॉर्ड मैकाले द्वारा लिखे कानून भारतीय दण्ड संहिता के लागू होने से कानून के समक्ष ब्राह्मण–शूद्र सभी बराबर हो गये और मनु स्मृति का विधान समाप्त हुआ। इसका परिणाम यही हुआ कि लॉर्ड मैकाले भारत के बहुजनों के लिए किसी फरिस्ते से कम नहीं थे।

अंग्रेजी हुकूमत में ब्रिटिश सरकार के चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार भारत के लिए प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया जिसके लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष बनकर 10 जून 1834 को भारत आये और इन्हीं लॉर्ड मैकाले ने भारत में नई शिक्षा नीति की नींव रखी वह हजारों साल से शिक्षा के अधिकर से वंचित बहुजन समाज के लिए मुक्तिदूत बनकर भारत आये और उन्होंने शिक्षा पर पुरोहित वर्ग के मनमाने एकाधिकार को समाप्त कर सभी को समान शिक्षा पाने का अधिकार प्रदान किया तथा पिछड़े व दलितों व आदिवासियों की किस्मत के

दरवाजे खोल दिए।

मनुस्मृति की व्यवस्था पूर्णरूप से धर्म पर आधारित थी जिसमें ब्राह्मणों को इतनी महानता प्राप्त होती रही थी कि वह अपने आपको इसी धरती का प्राणी होते हुए भी आसमानी पुरूष अर्थात देवताओं के भी देव समझते थे इसलिए गठित सार्वजनिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड मैकाले ने अपने विचार सुप्रसिद्ध स्मरण पत्र 2 फरवरी 1835 में दिये जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 मार्च 1835 को अनुमोदित किया। लॉर्ड मैकाले ने भारत में सामाजिक भेदभाव, शिक्षा में भेदभाव और दण्ड के मनमाने प्रावधान देखकर ही आधुनिक शिक्षा पद्यति की नींव रखी और भारतीय दण्ड संहिता लिखी जिसके कानून ब्राह्मण और शूद्र, पिछड़ों सब के लिए समान बने।

मैकाले की शिक्षा पद्यति से ब्राह्मणों को अपने सारे विशेषाधिकारों पर डांका पड़ता नजर आया इसलिए उन्होंने इस शिक्षा नीति का प्रबल विरोध किया क्यों?

क्योंकि – 1. प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्यति का आधार प्राचीन भारतीय धर्म ग्रन्थ थे।

2. शिक्षा पाने का अधिकार मात्र उच्चवर्ग (सवर्ण वर्ग) को था।

3. शिक्षा केवल ब्राहम्णों द्वारा दी जाती थी।

4. शिक्षा में धार्मिक पूजा पाठ और कर्मकाण्ड का चलन था।

5. शिक्षा में धार्मिक ग्रन्थ, देवी देवताओं की कहानियां, चिकित्सा, तन्त्र–मन्त्र, ज्योतिष, जादू–टोना आदि शामिल थे।

6. शिक्षा का माध्यम मुख्य रूप से संस्कृत ही था।

7. प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्यति में ज्ञान–विज्ञान, भूगोल, इतिहास और आधुनिक विषयों का अभाव था।

8. इस प्राचीन शिक्षा पद्यति के तहद कभी कोई ऐसा स्कूल, गुरूकुल या विश्वविद्यालय नहीं खोला गया जिसमें सभी वर्णों और जातियों के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हों।

9. गुरूकुल में प्रवेश से पहले यज्ञोपवीत संस्कार जरूरी था। चूँकि हिन्दू धर्म शास्त्रों में शूद्रों को यज्ञोपवीत संस्कार ही वर्जित था तब इनका शिक्षा ग्रहण करना भी सम्भव नहीं था।

10. उस शिक्षा पद्यति में तर्क का कोई स्थान नहीं था और यदि कोई धर्म एवं कर्म काण्ड पर तर्क करता तो उसे नास्तिक करार दे दिया जाता था।

11. उस शिक्षा प्रणाली में चारों वर्णों के लिए कोई समानता का सिद्धान्त नहीं रहा।

12. उस शिक्षा पद्यति में शूद्र–पिछड़ों विरोधी एवं हितबद्धता की भावनाएं प्रबल थीं। जैसे एकलव्य का अगूँठा काटना।

13. उस शिक्षा पद्यति से विश्व से परिचित नहीं हो पाते थे केवल भारत और उसकी धार्मिक महिमा का गुणगान किया जाता था।

14. इसमें वर्ण व्यवस्था का वर्चस्व था जिसमें व्रत पूजा–पाठ, त्यौहार, तीर्थ यात्राओं आदि का बहुत महत्व था।

जबकि;

लॉर्ड मैकाले की आधुनिक शिक्षा पद्यति में –

1. हर जाति व धर्म का व्यक्ति शिक्षक बन सकता है

2. जो शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा और क्षमता रखता है वह ग्रहण कर सकता है।

3. इसमें धार्मिक पूजा–पाठ और कर्म काण्ड के बजाय तार्किकता को महत्व दिया जाता है।

4. इसमें इतिहास, भूगोल, कला, भाषा–विज्ञान, अभियान्त्रिकी, चिकित्सा, प्रबन्धन आदि अनेक विद्या शामिल हैं।

5. शुरू में इसका माध्यम अंग्रेजी था परन्तु बाद में इसके साथ–साथ सभी मुख्य क्षेत्रीय भाषाएं इसका माध्यम हैं।

6. इस शिक्षा नीति के तहद 1835 से 1853 तक अधिकांश जिलों में स्कूल खोले गये। आज वही कार्य केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ ही निजी संस्थाएं भी शामिल होकर कर रही हैं।

7. इस शिक्षा पद्वति में तर्क को पूरा स्थान दिया गया है यह राजा और रंक सब के लिए सुलभ है।

धर्म तन्त्रीय लोग यही तो नहीं चाहते थे वह तो आज भी प्राचीन शिक्षा पद्यति का गुणगान करते नहीं थकते और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्यति को रूक–रूक कर गालियाँ देते हैं। भला हो लॉर्ड मैकाले का जिसकी शिक्षा पद्यति और कानून ने कई हजार साल (चार हजार साल) पुरानी सामन्त शाही व्यवस्था को ध्वस्त कर जाति और धर्म से ऊपर उठकर वर्णव्यवस्था के साम्राज्य की काली दीवार उखाड़ कर इंसानी साम्राज्य बनाने का आधार दिया। अन्यथा ये धर्म तन्त्रीय लोग कभी मौका नहीं देने देते। इनका षड्यन्त्र निरन्तर जारी है भी।

लोकतन्त्र से पूर्व षड्यन्त्र –

अंग्रेज सन् 1947 में भारत की वागडोर छोड़कर अपने मुल्क चले गये जो लोग ब्रिटिश राज में भी आजाद थे, सम्पूर्ण सुख सुविधाओं के साथ जिन्दगी जीते थे, सामाजिक और आर्थिक किसी भी स्तर पर उन्हें कोई कष्ट नहीं था उन्हें स्वराज चाहिए था और स्वराज ही उन्होंने पाया अंग्रेजों के जाने के बाद वह पहले से भी अधिक आनन्द, खुशहाल, समृद्ध, स्वतन्त्र और ताकतवर हैं। जो वास्तविक रूप से स्वतन्त्रा के लिए लड़े उनका कोई नामोनिशान, इतिहास तक में उल्लिखित करना मुनासिव नहीं समझा गया। उनके परिवार कहाँ गुमनामी में खो गए कौन ढूंढने वाला है परन्तु आजाद लोग अपनी शक्ति का भव्य प्रदर्शन करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे जिनका लक्ष्य सत्ता हासिल करना था उन्होंने हर हाल में सत्ता हासिल की और जिनका लक्ष्य स्वतन्त्रता हासिल करना था उन्हें कौन पूँछ रहा है।

काँग्रेस हिन्दू पूंजीपतियों द्वारा समर्थित मध्यम वर्गीय पार्टी है जिसका लक्ष्य भारतीयों को आजादी देना नहीं बल्कि ब्रिटिश नियंन्त्रण से मुक्त होकर सत्ता के उन सभी संसाधनों पर कब्जा करना था जो ब्रिटिश के कब्जे में था क्योंकि कॉग्रेस का संचालन ब्राह्मणों और पूंजीपतियों के हाथों में था काँग्रेस का मतलब शासक वर्ग है और शासक वर्ग का मतलब ब्राह्मण–बनियाँ गठजोड़ है। जिस तरह कोई सुल्तान इस्लाम के खिलाफ नहीं जा सका और पोप रोम के कट्टर कैथोलिक ईसाइयों के अधिकार समाप्त नही कर सका ठीक उसी तरह भारत का शासक वर्ग भी ब्राहम्मणवाद का खात्मा नहीं करेगा और भारत का शासक वर्ग जो ब्राहम्ण है तो वह स्वतंन्त्रता के वाबजूद भी शूद्रों, अछूतों, पिछड़ों का दमन करता चला आ रहा है।

भारत से अंग्रेज चले गये और भारत की शासन–सत्ता ब्राह्मणों के हाथों में आ गई। 1947 के ब्राह्मण राज से वर्तमान तक समीक्षा करके देख लीजिए लगभग हर एक पायदान पर ब्राहम्ण बैठा मिलेगा। कोई भी

उत्सव हो, पर्व हो उन्हीं की देन है उन्हीं का आनन्द है वही ब्रह्मानन्द हैं।

लोकतन्त्र में षड्यंन्त्र –

अगर संरक्षण पर कॉंग्रेस के साथ डॉ0 आम्बेदकर का समझौता न हुआ होता तो विधायिका में 6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दलितों को प्राप्त नहीं होता और न दलितों को आरक्षण के तहद नौकरियाँ ही मिलतीं हालाँकि यह भी कॉंग्रेस से आज तक शासक वर्ग की दया पर निर्भर रहा है जो वोट लेकर अपनी सत्ता कायम रखते हैं।

ब्राह्मणों के हाथों में सत्ता आते ही प्रधानमंन्त्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंन्त्री तक ब्राह्मण बनाये गए (अपवाद छोड़कर) शासन–प्रशासन, न्यायालयों आदि विभागों में सभी ब्राह्मण बिठाये गये, सभी विश्वद्यिालयों के कुलपति, सचिव, प्रोफेसर सब पदों पर ब्राह्मण नियुक्त किये गये यहाँ तक कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने पूरे वैदिक विधि–विधान से 101 ब्राह्मणों की पूजा कर उनके पैर धोकर सिंहासन पर बैठकर वाकायदा ब्राह्मण राज का श्रीगणेश किया फिर ब्राह्मण–संस्कृति का प्रचार–प्रसार करने का खुला खेल (षड्यन्त्र) शुरू हुआ।

कॉंग्रेस ने जिले–जिले रामलीला कमैटियाँ बनवाईं उनकी कमान ब्राह्मण–बनियों को सौंपी जिससे जोर–शोर से रामलीलाएं शुरू हुईं। आकाशवाणी पर सुबह–सुबह रामचरित मानस का धारावाहिक पाठ शुरू हुआ। वर्ष 1960 के आस–पास ब्राह्मण शासक वर्ग ने अपने धर्म की जड़ें मजबूत करने के लिए कीर्तन की शुरूआत की जिससे सारे देश में कीर्तनों की धूम मची, बड़े–बड़े कीर्तन कलानिधि पैदा हुए जिनकी ललित कलाओं से जनता को मोहित करने वाला जादू उत्पन्न हुआ। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक, नगर–नगर, गाँव–गाँव, गली–गली मुहल्लों में कीर्तन मण्डलियों का निर्माण हुआ और घर–घर कीर्तन व अखण्ड कीर्तन होने का रिवाज चल पड़ा। बरसाती मेंढ़कों की तरह बेशुमार रंग बिरंगे स्वामी निकल पड़े जो गीता और रामायण के व्याख्यानों में अवतारवाद की पुष्टि व भक्तिवाद के प्रचार में तमाम दुनियाँ की फिलॉसफी छोंकते और विज्ञान की टाँगें तोड़ने लगे तथा कीर्तन की चक्की में जनता का मस्तिष्क पीसकर मैदा बनाने लगे ताकि जनता की बुद्धि से उन्हें कोई खतरा उत्पन्न न हो और अपने षड्यन्त्र में सफल रह सकें। यह कीर्तन ब्राह्मण शासक वर्ग (धर्म तन्त्रीय लोगों) का लोकतन्त्र में षड्यंन्त्र नहीं तो और क्या है?

अंग्रेजों की शर्त –

अंग्रेजों ने इस शर्त पर सत्ता का हस्तान्तरण किया था कि भारत जातीय तथा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व पर आधारित लोक तन्त्र को कायम करेगा क्योंकि भारत में आजादी के बाद जो लोकतन्त्र स्वीकार किया गया वह कॉंग्रेस के ब्राह्मण शासक वर्ग की इच्छा नहीं थी बल्कि मजबूरी थी। अगर अंग्रेजों की यह न शर्त होती तो ब्राह्मण शासक वर्ग हिन्दू राष्ट्र ही कायम करता उसे जातीय तथा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त तब रास नहीं आता और न आज। ब्राहम्मण अपने सिवाय कानून बनाने की शक्ति किसी गैर ब्राह्मण को देना नहीं चाहता।

ओमप्रकाश कश्यप द्वारा पेरियार पर लिखी अपनी किताब के अनुसार – कॉंग्रेस के ब्राहम्मण नेता बराबर जातीय प्रतिनिधित्व का विरोध कर रहे थे, मात्र तीन प्रतिशत ब्राह्मणों के आगे शेष 97 प्रतिशत जनता बेवश थी विरोध के बाद मद्रास प्रान्त की तत्कालीन सरकार की ओर से 21 नवम्बर 1947 को जातीय प्रतिनिधित्व का एक संशोधित आदेश जारी किया गया जिसमें 14 नियुक्तियों की इकाई में गैर ब्राह्मण ऊँची

जातियों को 6, पिछड़ी हिन्दू जातियों को 2, ब्राह्मणों को 2, दलितों को 2, एंग्लोइंडियन को 1, और मुसलमानों को 1 पद पर प्रतिनिधित्व दिया गया था लेकिन शत–प्रतिशत पर अपना अधिकार जमाने वाले ब्राह्मणों को 2 पद से सन्तुष्टि नहीं थी उन्होंने 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो ब्राह्मणों को एक अवसर मिल गया उन्होंने 'सलेम ब्राह्मण सेवा संगम' की ओर से संविधान के अनुच्छेद 16 (1) और 29 (2) में प्रावधानित समानता के अधिकार को आधार बनाकर मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर जातीय प्रतिनिधित्व को चुनौती दी और हाईकोर्ट ने जातीय प्रतिनिधित्व को अवैध करार भी दिया जिसके विरोध में पेरियार रामास्वामी नायकर ने विशाल जनान्दोलन खड़ा कर दिया तब सामाजिक दबाव मे आकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की परन्तु ब्राह्मणों और ब्राह्मणवादी अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को ही बरकार रख कर गैर–ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व के रास्ते ही बन्द कर दिये केवल एक ही रास्ता बचा था जन–आन्दोलन। कोर्ट के निर्णय के विरूद्ध जबरदस्त आन्दोलन हुआ और आन्दोलन की आग तमिलनाडु के आस–पास के इलाकों में फैली तब केन्द्र सरकार की नींद खुली उसके बाद अनुच्छेद 15 में उपधारा 15 (4) जोड़ते हुए पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष शक्तियाँ राज्यों को दी गईं।

दलितों का आरक्षण काँग्रेस की ब्राह्मण सरकार ने आजादी के बीस साल तक पूरा नहीं किया कुछ सीमा तक सत्तर–अस्सी के दशकों में विशेष अभियान चलाकर कुछ खाली पदों पर दलितों को नौकरियाँ दी गईं।

पिछड़ी जातियों के साथ षड्यन्त्र –

पिछड़ी जातियों के उत्थान को और भी गम्भीरता से नहीं लिया गया। वर्ष 1953 में पिछड़ी जातियाँ की जाँच करने के लिए एक ब्राह्मण गाँधीवादी नेता काका कालेकर की अध्यक्षता में आयोग बना जिसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए सिफारिशें कीं लेकिन ब्राह्मण गृहमन्त्री गोविन्द बल्लभ पंत ने धन का बहाना बनाकर उस रिपोर्ट को लागू करने से ही मना कर दिया। उसके लगभग 25 साल बाद तमाम आन्दोलनों के दबाव में 1979 में बिन्देश्वर प्रसाद मण्डल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा आयोग बना जिसने 1980 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी परन्तु काँग्रेस के उसी ब्राह्मण तन्त्र ने दस साल तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की।

सन् 1990 में जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी तो प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय की बुनियाद रखी और मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। स्पष्ट है कि भारत में संविधान लागू होने के चालीस साल तक इस कथित आजाद भारत में षड्यन्त्र से ब्राह्मण शासक वर्ग ने पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया जबकि इन चालीस सालों में ब्राह्मणों का चौतरफा विकास होता रहा और पिछड़े वर्ग को भजन–कीर्तन के षड्यन्त्र में फँसाकर जो पहले से ही विकास में पीछे थे और पीछे कर दिया। यही नहीं इन्होंने इस आरक्षण पर पिछड़ों के खिलाफ आक्रामक सवर्णों को भड़का कर स्कूल–कॉलेजों में दलित, पिछड़ी जातियों के छात्रों पर लाठी डण्डों से हमला कराये, सवर्ण छात्रों से आत्मदाह कराये, सड़कों को जाम किया, ब्राह्मण लेखकों व पत्रकारों से अखबारों में आरक्षण के खिलाफ लेख लिखवाये यह शासक वर्ग अपने ही देश में अपने ही धर्म के कमजोर तबकों का जानी दुश्मन बना यह नजारा 1992 में पूरी दूनियाँ ने भी देखा था।

धार्मिक सीरियलों का षड्यन्त्र –

प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सामाजिक न्याय की राजनीति और पिछड़ों के आन्दोलन क्रान्ति के प्रतिरोध में, कॉंग्रेस शासन ने दूरदर्शन पर 'रामायण' धारावाहिक शुरू करा कर किया था। रामायण का दिखाया जाना कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि ब्राहम्मण तन्त्र की षड्यन्त्र के तहद एक सोची समझी साजिस थी।

ब्रेंडीडोनिगर के शब्दों में 'रामायण' ही वह सीरियल था जिसके जनवरी 1987 से जुलाई 1988 तक दिखाये गये 78 एपीसोडों ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बुनियाद रखी थी लेकिन सच्चाई यह भी है कि इसके पीछे सामाजिक न्याय की उस राजनीतिक चेतना को कमजोर करना था जो ब्राह्मण शासक वर्ग के खिलाफ गैर–ब्राह्मणों की एक बड़ी क्रांति को अंजाम दे रही थी।

असल में ब्राह्मण शासक वर्ग के प्राण उसकी वर्ण व्यवस्था में बसते हैं जैसे कि लोक कथाओं में किसी जादूगर के प्राण दूर पहाड़ी पर रखे हुए पिंजरे में कैद तोते में बसते थे। यही स्थिति ब्राह्मण वर्ग की है यदि वर्ण व्यवस्था टूटती है तो ब्राह्मण वर्ग की जान खतरे में पड़ती है। इसीलिए वह वर्ण व्यवस्था को जीवित रखने का हर सम्भव प्रयत्न करते चले आ रहे हैं क्योंकि वर्ण व्यवस्था दलित–पिछड़ी जातियों को अशिक्षित, अज्ञानी दीन–हीन, बेरोजगार और गरीब बनाकर रखने से मजबूत रहती है और इन्हें शिक्षित, जागरूक, धनी, समृद्ध, समानता के स्तर को विकसित करने से खत्म होती है। इसी कड़ी में सीरियल रामायण के साथ–साथ 'महाभारत' नाम के सीरियल का प्रसारण भी ब्राह्मण तन्त्र का एक षड्यन्त्र था जिससे वह जिजमान बनी दलित–पिछड़ी जनता को धार्मिक प्रपंच के जाल में फँसाये रखें।

आरक्षण खत्म करो का षड़यन्त्र –

ब्राह्मण शासक वर्ग का कथन है कि आरक्षण दस वर्ष के लिए था, आरक्षण खत्म करो, आरक्षण कब तक लोगे यह विलाप ब्राह्मण शासक वर्ग का मिथ्या है। 5 सितम्बर 2022 के प्रो0 विवेक कुमार के दैनिक जागरण समाचार पत्र में लेख के अनुसार सदियों से सामाजिक संरचना में वंचित वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राजनीति, कर्मचारी तन्त्र एवं शिक्षा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है आरक्षण। देश में आरक्षण व्यवस्था सीधे–सीधे जाति पर आधारित नहीं है बल्कि जाति व्यवस्था के आधार पर सामाजिक संरचना में शिक्षा, संसाधन, धर्म–संस्कृति और स्वैच्छिक व्यवसाय से बहिष्कृत किये गये वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का कार्यक्रम है। संविधान के अनुच्छेद 355 द्वारा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति को नौकरियों में दिये गये आरक्षण की कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। इसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था में भी आरक्षण की कोई संविधान में निश्चित नहीं है। हाँ अनुच्छेद 330 एवं 332 द्वारा दिये गये राजनैतिक आरक्षण के सन्दर्भ में यह अवश्य कहा गया है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष बाद इसकी प्रभावशीलता का आँकलन किया जाएगा। प्रभावशीलता का आँकलन किया जाना और आरक्षण की समय सीमा निश्चित किया जाना, दो अलग–अलग तथ्य हैं! इसकी समीक्षा अवश्य हो सकती है।

संविधान लागू होने से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आरक्षण पूर्ण रूप से लागू हुआ हो और अब सुझाव दिया जा रहा है कि क्रीमीलेयर लगा कर वंचितो को न्याय दिया जाय जब कि सन् 1980 के दशक में दलितों को आरक्षण के लिए कहा जाता था 'कैंडीडेट नॉट अवेलेवल' और जब 90 के आस–पास अनुसूचित

जाति अनुसूचित जनजाति ने शिक्षा ग्रहण कर प्रतियोगिता में भाग लेना आरम्भ किया तो कहा गया 'कैंडीडेट नॉट फाउण्ड सूटेवल।' अब इन वर्गों ने अपनी मेहनत और मशक्त से तरक्की की है तो उनको क्रीमीलेयर के जरिए पीछे करने का षड़यंन्त्र करते हुए विलाप किया जा रहा है। सदियों के पिछड़ेपन को एक या दो पीढ़ी का आरक्षण दूर नहीं कर सकता फिर मिथ्या कथन का अलाप क्यों किया जा रहा है कि आरक्षण 10 वर्ष के लिए था।

कुछ साल पहले केन्द्र सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने की जबरन और मनमानी व्यवस्था की क्योंकि यह निर्धारित 50 प्रतिशत कोटे से इतर था हालाँकि सुप्रीम कोर्ट इस प्रावधान की संवैधानिकता की सुनवाई करने जा रही है फिर भी केन्द्र सहित कई राज्यों ने इसे आनन–फानन में लागू किया। इसमें भी षड्यन्त्र है जब आरक्षण 50 प्रतिशत से ऊपर नहीं जा सकता तब उसे ऊपर से 10 प्रतिशत क्यों और कैसे आरक्षण दे दिया गया और जब सवर्ण वर्ग की जनसंख्या कम है और वह सक्षम हैं, ज्ञानी पढ़े–लिखे हर मामले में योग्य हैं तब वह 50 प्रतिशत अनारक्षित से सन्तुष्ट क्यों नहीं हैं। उत्तर–प्रदेश में शिक्षा के बजीफा की समीक्षा कर के देखिए पिछड़े वर्ग के छात्रों को वजीफा ही नहीं दिया जा रहा जबकि सामान्य वर्ग को पूरा वजीफा दिया जा रहा है वह षड्यन्त्र नहीं तो क्या है?

भगवाकरण का षड्यन्त्र –

दलित–पिछड़ी जातियों का भगवाकरण करके उन्हें धर्म रक्षक की भूमिका में उतारना भी एक सोची समझी साजिस और षड्यन्त्र है। धर्मतन्त्रीय सरकार की यह एक कारगर योजना है जिसके बल पर वह अभी एक सदी आगे तक भारत में ब्राह्मण शासक वर्ग ही बनाये रखना चाहती है। इसीलिए ब्राह्मण सत्ताओं, ब्राह्मण संगठनों और ब्राह्मण नेताओं के मुँह से आवाजें आती हैं कि आरक्षण खत्म करो, आरक्षण की समीक्षा करो, आरक्षण कब तक लोगे क्योंकि वह नहीं चाहते कि दलित–पिछड़ी जातियाँ आत्म निर्भर व सशक्त हो जाँय और वर्ण व्यवस्था ध्वस्त हो जाय। यही लोग चिल्लाते हैं कि भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित करो, संविधान को बदलो, हिन्दू राज्य स्थापित करो। इनका षड्यन्त्र यही दर्शाता है कि ये भारत में केवल हिन्दू राज चाहते हैं इसके सिवा कुछ नहीं, और हिन्दू राज का मतलब है ब्राह्मण राज और ब्राह्मण राज का मतलब है वर्ण व्यवस्था का अनुसरण।

ब्राह्मण धर्मतन्त्रीय लोगों के लोक तन्त्र विरोधी गति विधियों पर सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय उनका समर्थन करती है। अयोध्या में रामलला के बहाने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर मन्दिर आन्दोलन, बनारस में शिवलिंग के बहाने ज्ञानव्यापी मस्जिद को गिराने का आन्दोलन, मथुरा में तन्त्र के बहाने ईदगाह तोड़ने का आन्दोलन, आगरा में तेजोमहल के बहाने ताजमहल गिराने का उन्माद और दिल्ली में कुतुबमीनार को भीम की गदा बताने का पागलपन ब्राह्मण शासक वर्ग का लोक तन्त्र विरोधी चरित्र नहीं है?

अगर इनकी बात सही मान भी ली जाय कि धर्म स्थलों के मामले में यह सही अलाप रहे हैं तो यह अथवा इनके पूर्वज उस समय कहाँ गये थे जब इनके इन धर्म स्थलों को ध्वस्त कर उन पर निर्माण हो रहा था यह कोई एक दिन का निर्माण होना तो सम्भव नहीं है। उस समय इन्होंने कोई आन्दोलन नहीं किया यज्ञोपवीत धारण कर दुबके रहे और अब धर्मतन्त्रीय लोक तन्त्र में इनके पास दलित–पिछड़ों की फौज खड़ी है तो धर्म के नाम पर तरह–तरह से षड्यन्त्र कर उन्हें धर्म रक्षक बनाकर चले हैं मैदाने जंग में। अगर स्वयं में बलशाली हैं

तो दलित–पिछड़ों को मौहरा न बनाकर उन्हें पीछे हटाकर अपने आप कुदाल–फावड़े लेकर दौड़ पड़ो, लोक तन्त्र आपका समर्थन कर ही देगा और अलौकिक शक्तियों का भण्डार आपके पास मौजूद है ही।

सरकार की सफलता का राज –

पूरे भारतीय समाज का अपराधीकरण, लम्पटीकरण, बाजारीकरण और भगवाकरण हो गया यही षड़यंन्त्र सरकार की सफलता का राज है। हालत यह हैं कि भारतीय समाज ने इस तथ्य को बड़े पैमाने पर स्वीकार कर लिया है कि उनका नेतृत्व गुण्डे, मवाली, दलाल, ठेकेदार, तस्कर, माफिया, अपराधी और हत्यारे ही करेंगे। इन्हें समाज में सामाजिक मान्यता ही नहीं मिली हुई बल्कि इन्हें माननीय का दर्जा भी मिला हुआ है।

कोई भी पर्व–त्यौहार हो, धार्मिक आयोजन हो, मांगलिक समारोह हो, खेलकूद हो, सांस्कृतिक आयोजन हो अथवा किसी का मृत्यु भोज ही क्यों न हो हर कोई इनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहता है ऐसा जान पड़ता है कि अगर यह न हों तो आयोजकों की इज्जत मिट्टी में मिल जायेगी। इस काम के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय नेताओं की भी सामाजिक स्वीकृति है। सरकारी या निजी के नेता सुरक्षा कर्मियों से घिरे ये माननीय 'नेताजी जिन्दाबाद' का नारा सुनते ही रोमांचित होते हुए फूलकर कुप्पा हो जाते है, इनकी बाँछे खिल जाती हैं, मूँछों पर ताव आ जाता है और कदम तेजी से चलने लगते हैं।

किशोर, जवान इनके भक्त हैं जो इनके बगल में खड़े होकर फोटो खिंचबाने अथवा सेल्फी लेना अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हैं। ऐसे नौजवान नेताजी के लिए नास्ता, पान का बीड़ा थमाने आदि से लेकर जूता उठाने तक का काम करने में अपने आप को धन्य समझते हैं। इनके बीच संयोग से कोई विद्वान, विचारक साहित्यकार, इतिहासकार, लेखक आदि पहुँच जाय तो उसे शर्मिन्दा होते देर नहीं लगेगी उसका भाव गाजर मूली से भी गया गुजरा होता है ऐसे माहौल में ये चुनाव न जीते तो यह आश्चर्य ही कहा जायेगा।

बड़ी मात्रा में दाना डाल दिया जाय तो उस दाने पर कबूतर अवश्य आयेंगे और जब भरपूर मात्रा में इकट्ठा होकर कबूतर दाना चुगने लगें तो शिकारी बहेलिया उन पर जाल फैलाकर बड़ी तादात में कबूतर पकड़ने में सफल हो जाता है। अब उसकी झोली में पूरा इन्तजाम है उसे अन्य कबूतर जो थोड़ी मात्रा में उड़कर जहाँ के तहाँ पेड़ों पर बैठ गये, को पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती ठीक उसी प्रकार भारत में चुग्गा डालकर सरकारी राजतन्त्र ने बहुत बड़ी तादात में जनता पर अपना जाल डालकर मतों की झोली भर रखी है चुनाव के वक्त उसे ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, उसके पास पूरा इन्तजाम है और जो उनके जाल में नहीं फँस पाये और इधर–उधर भाग गये वह संख्या में कम हैं वह कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वह एक जगह इकट्ठा नहीं है कोई इस पेड़ पर कोई उस पेड़ पर जाकर बैठ गया इसलिए वह संगठित नहीं है और उनसे कोई खतरा भी नहीं है। यदि फिर भी कोई चिल्ल–पौं करे तो सरकारी चाबुक उसकी पीठ तोड़ने में सक्षम है ही ऊपर से दलित–पिछड़ों की भगवा फौज उसे चैन से भी नहीं रहने देगी। यही षड्यन्त्र सरकार की सफलता का राज है।

सन्दर्भ –

1. दैनिक जागरण 9 सितम्बर 2022
2. George Ekka 17 August 2022
3. कम्बल भारती

4. . Kumar Satish August 2022

5. रजनीकांत शास्त्रीः प्रकाशक किताब महल, इलाहाबाद

6. प्रो. विवेक कुमार समाजशास्त्री जे.एन.यू.: दैनिक जागरण 5 सितम्बर 2022